[16/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 1151]

परिशिष्ट 'अ'

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1151 द्वारा श्री राजेश कुमार शुक्ला माननीय सदस्य विधानसभा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय

खण्ड-घ, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक 1381 /खाद्य/2023 भोपाल, दिनांक 1-3-2023

प्रति,

कलेक्टर,

जिला छतरपुर,

विषय:- श्री नाथूराम गोड़ तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1151 तारांकित द्वारा श्री राजेश कुमार शुक्ला माननीय सदस्य विधानसभा (सत्र मार्च 2023)।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत उल्लेख है कि श्री नाथूराम गोड़ द्वारा विलम्ब से उचित मूल्य दुकान बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त संबंध में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि विधानसभा को अवगत कराया जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

संचालक,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्यप्रदेश

प्र अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

परिशिष्ट 'ब'

विधान सभा सत्र तारांकित प्रश्न क्रमांक 1151 द्वारा राजेश कुमार शुक्ला माननीय सदस्य विधान सभा

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश)

क्रमांक 66 /विधि/खाद्य/2023 छतरपुर,दिनांक 30/1/2023

आदेश

नगर छतरपुर अंतर्गत अमन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा संचालित वार्ड क्र0 17 शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच मे अनियमितता पाये जाने पर जिला आपूर्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा प्रकरण क्र0 1304/खाद्य/विधि/बी–121/21 मे आदेश दिनांक 30.12.2021 से वार्ड क्र0 17 की शासकीय उचित मूल्य दुकान को निरस्त करते हुये दुकान का संचालन इंदिरा गांधी महिला उपभोक्ता भंडार को सौंपा गया था। इस आदेश के विरूद्व अमन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कलेक्टर महोदय द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्र0 124/अपील/खाद्य/2021–22 मे पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर जिला आपूर्ति अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया। उक्त दोनो आदेशो के विरूद्व अमन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका क्र0 1099/2023 प्रस्तुत की गई थी। याचिका मे मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2023 को आदेश पारित करते हुये जिला आपूर्ति अधिकारी का आदेश दिनांक 30.12.2021 एवं कलेक्टर महोदय का आदेश दिनांक 13.12.2022 को निरस्त कर दिया गया है।

अतः मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 के परिप्रेक्ष्य मे नगर छतरपुर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान वार्ड क्र0 17 का संचालन अमन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या0 छतरपुर को सौंपा जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

30/1/23

जिला आपूर्ति अधिकारी
छतरपुर (म0प्र0)

पृ0क्रमांक 66 /विधि/खाद्य/2023 छतरपुर, दिनांक 30/1/2023

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त सहकारिता जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला प्रबंधक म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो0 छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला प्रबंधक म0प्र0 वेयरहाउसिंग कार्पो0 छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी छतरपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अध्यक्ष/प्रबंधक इंदिरा गांधी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या0 छतरपुर से वार्ड क्र0 17 की शासकीय उचित मूल्य दुकान का प्रभार अध्यक्ष/प्रबंधक अमन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या0 छतरपुर को दिलवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. अध्यक्ष/प्रबंधक इंदिरा गांधी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या0 छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7. अध्यक्ष/प्रबंधक अमन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या0 छतरपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वार्ड क्र0 17 का प्रभार प्राप्त कर उसी वार्ड मे शासकीय उचित मूल्य दुकान स्थापित की जाकर नियमानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

जिला आपूर्ति अधिकारी
छतरपुर (म0प्र0)

प्र अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

परिशिष्ट 'स'

विधान सभा सत्र तारांकित प्रश्न क्रमांक 1151 द्वारा राजेश कुमार शुक्ला माननीय सदस्य विधान सभा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग बड़ामलहरा जिला छतरपुर म.प्र.

बड़ामलहरा, दिनांक 06/01/2023

// आदेश //

क्रमांक 08 /पी0डी0एस0/2023 समिति प्रबंधक सेवा सह0समि0मर्या0 मैलवार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया कि, न्यायालयीन अ0वि0अ0 प्रकरण क्रमांक 0080/ब-121/2021-22 दिनांक 16/08/2021 के द्वारा सेवा समिति मर्या0 कर्री की दुकान को शास0उ0मू0 दुकान मैलवार में अटैच किया गया था, उक्त आदेश के पालन में वर्तमान तक सेवा सह0 समिति मैलवार के द्वारा दुकान का संचालन किया जाता है, परन्तु समिति मैलवार में कर्मचारियों की कमी होने से दुकान के संचालन में असमर्थता व्यक्त की है, साथ ही उक्त दुकान शा0उ0मू0दु0 कर्री को अन्य समिति से संचालित किये जाने संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आवेदन पत्र के संबंध में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बड़ामलहरा से प्रतिवेदन लिया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि, म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 16 (3) के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान कर्री का संचालन पुन: सेवा सहकारी समिति कर्री को सौंपा जाना उचित होगा साथ ही इस आदेश की कण्डिका 16 (7) के तहत विक्रेता कैलाश पटैरिया के द्वारा उक्त दुकान का संचालन न करावाये जाने हेतु प्रशासक / प्रबंधक सेवा सह0 समिति कर्री को निर्देशित किया जाना उचित होगा।

एतदर्थ प्रबंधक सेवा सह. समिति मैलवार के आवेदन एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बड़ामलहरा के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए हितग्राहियों को सतत खाद्यान्न आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धारा 16 (3) के अनुक्रम में शा.उ.मू.दुकान कर्री का संचालन पुनः सेवा सहकारी समिति कर्री को दिए जाने का आदेश किया जाता है। साथ ही सेवा सहकारी समिति कर्री को निर्देशित किया जाता है कि म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धारा 16 (7) के अनुपालन में दुकान का संचालन दोषी विक्रेता के स्थान पर अन्य विक्रेता से कराया जाना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग बड़ामलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक/ 08 /पी.डी.एस./2023

बड़ामलहरा, दिनांक 06/01/2023

प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर महोदय (खाद्य शाखा) जिला छतरपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. डिप्टी रजिस्ट्रार (सहकारिता) सहकारी संस्थाएं छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा छतरपुर जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
4. शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बड़ामलहरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार तहसील बड़ामलहरा की ओर सूचनार्थ।
6. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बड़ामलहरा की ओर भेजकर आदेशित किया जाता है कि आप शासन द्वारा प्रदत्त (पी.ओ.एस.) मशीन एवं दुकान पर उपलब्ध अवितरित खाद्यान्न / नमक, शक्कर, कैरोसीन इत्यादि को दोनों समितियों के बीच हैण्ड ओवर / टेक ओवर करवाकर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केन्द्र बड़ामलहरा जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समिति प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मैलवार / कर्री की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग बड़ामलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

उप सचिव अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग